

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(08)खा.वि./स्था.प्र./2017

जयपुर, दिनांक १२.08.2019

जिला रसद अधिकारी, (समस्त),
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान अधीनस्थ सेवा, 2016 के आधारभूत प्रशिक्षण के क्रम में।

प्रसंग:- हचमा रीपा का पत्र क्रमांक एफ 18(4)एफ सी/एस एस/रीपा/2019/906
दिनांक 19.08.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2016 द्वारा नवचयनित प्रवर्तन निरीक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय रूप में दिनांक 26.08.2019 से हचमा रीपा, कोटा में प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः आप आपके कार्यालय में पदस्थापित नवनियुक्त प्रवर्तन निरीक्षकों को कार्यमुक्त कर दिनांक 26.08.2019 को प्रातः 9.30 बजे हचमा रीपा, आर.टी.ओ. के सामने, डीसीएम रोड छतरपुर, कोटा में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित करें।

साथ ही निर्देशानुसार आर.ए.एस-2012 एवं 2013 के वे प्रवर्तन निरीक्षक जो आपके कार्यालय में पदस्थापित हैं तथा जिनके द्वारा आदिनांक निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, को भी दिनांक 26.08.2019 को प्रातः 9.30 बजे हचमा रीपा, आर.टी.ओ. के सामने, डीसीएम रोड छतरपुर, कोटा में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित करें।

इस संबंध में किसी प्रकार का संशय हो तो तुरंत मुख्यालय से सम्पर्क करें।


६

(महावीर सिंह)

सहायक आयुक्त खाद्य

प्रतिलिपि :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 4 प्रोग्रामर, खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित को ई-मेल व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 5 जिला रसद अधिकारी, (समस्त)
- 6 रक्षित-पत्रावली


सहायक आयुक्त खाद्य